उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-111/2017/852/92-2-2017-17(जांच)/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 11 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-काशीरामनगर के अन्तर्गत राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता से संबंधित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा पहाडपुर विकास खण्ड पहाडपुर खुर्द में सी0सी0 रोड एवं पक्की नाली के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं के लिय प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4001/92-2011-106आरई/2011, दिनांक 26.09.2011 द्वारा श्री ए0एम0 खान, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-काशीरामनगर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा की जांच आख्या दिनांक 28.06.2012 को शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप स्थापित नही पाया गया परन्तु निर्माण कार्य के दौरान सुपरविजन मे आंशिक कमी का उल्लेख जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या में किया गया। जिसके संबंध मे अपचारी अधिकारी श्री ए0एम0 खान से शासन के पत्र दिनांक 24.12.2013 द्वारा अभ्यावेदन मांगा गया, जो श्री खान ने दिनांक 05.05.2014 के द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-एटा के पत्र दिनांक 01.07.2014 के माध्यम से शासन मे उपलब्ध कराया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री ए0एम0 खान सी0सी0 रोड का कार्य कराते समय सीमेन्ट, गिटटी, बालू में पानी की मात्रा निर्धारित अनुपात में न होने के कारण हनीकाम्बिंग की कमी के लिए उत्तरदायी है। अत: श्री ए0एम0 खान, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-काशीरामनगर को उक्त अनियमितता के लिये निम्नवत **"परिनिन्दा"** का दण्ड देते हुये उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही दिनांक 26.09.2011 को एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

"ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-काशीरामनगर में सहायक अभियन्ता के पद का कार्यभार का निर्वहन करते समय राज्य सरकार की सर्वोच्च् प्राथमिकता से संबंधित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा पहाडपुर विकासखण्ड पहाडपुर खुर्द में सी0 सी0 रोड का निर्माण करते समय सीमेन्ट, गिट्टी, बालू मे पानी की मात्रा निर्धारित अनुपात में न होने के कारण हनीकाम्बिंग की कमी पाये जाने हेतु श्री ए0एम0 खान तत्कालीन सहायक अभियन्ता, प्रखण्ड कांशीरामनगर को वर्ष 2016-17 के लिए परिनिन्दित किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 111/2017/852(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री ए0एम0 खान, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-काशीरामनगर (सम्प्रति प्रखण्ड-एटा) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।